



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0कुस0का0/स0वि0/2025/7593

दिनांक: 26 जुलाई, 2025

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,

CSM GROUP OF INSTITUTIONS, FACULTY OF MANAGEMENT, ALLAHABAD,
Prayagraj (Allahabad) (576)

विषय: शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-2028 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, एवं काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली (यथा लागू) के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 04.07.2025 एवं 11.07.2025 को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश 1023323/2025/16-1099/21/2025 दिनांक 12 जुलाई, 2025 एवं 1023324/2025/16-1099/ 21/2025 दिनांक 12 जुलाई, 2025 के अनुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन दिनांक 15.07.2025 के क्रम में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वचित पोषित योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष शैक्षिक सत्र 2025-26 से 2027-28 हेतु विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Approved Intake By AICTE	Approved Intake By COA	Intake Approved For Affiliation
Masters of Business Administration	MBA	60	60		60

उपरोक्त सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. संस्थान को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष आवेदन के साथ सम्बद्धता शुल्क के साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली से निर्गत एप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा।
2. विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों को राज्य सरकार की पूर्व सहमति के साथ यथास्थिति उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन प्रवृत्ति के मानदण्डों के आधार पर 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सम्बद्धता प्रदान कर सकता है। (विनियम: 6.07)
3. नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्त पूरी तरह से पूर्ण की गयी है। (विनियम: 6.11)
4. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एवं अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियम: 6.12)
5. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, प्रस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियम: 6.13)

Signature Not
Verified

Digitally Signed by: KESHAV SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 226016 Country : IN
Serial Number :
c16c93497e09a95c4d3d01147516c80891
05b33316c76c7561ca3c2f0c47

6. जब तक किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक का पद रिक्त होता है तो प्रबन्धतंत्र किसी भी अध्यापक को तीन माह की अवधि अथवा किसी नियमित प्राचार्य/निदेशक की नियुक्ति तक जो कि पूर्वतः हो, प्राचार्य और निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में काम करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि तीन माह की अवधि की समाप्ति तक अथवा पूर्ण में ही कोई नियमित प्राचार्य की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है या इस प्रकार का कोई प्राचार्य पद को धारण नहीं करता है तो महाविद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक इस प्रकार के महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के तौर पर स्थानापन्न रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कोई नियमित प्राचार्य/निदेशक नहीं नियुक्त हो जाता है। (विनियम: 6.15)

7. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों के लिए आवश्यक रजिस्ट्रारों का अनुरक्षण करेगा और समय-समय पर विश्वविद्यालय की विवरणी उस रूप में जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक हो उपस्कृत करेगा। (विनियम: 6.16क)

8. प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए अपनी वेबसाइट का अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रारूप पर महाविद्यालय से सम्बन्धित तथ्यों की प्रविष्टि करना आवश्यक होगा। (विनियम: 6.16ख)

9. जहाँ कार्य परिषद अथवा कुलपति किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करवाना चाहते हैं, वहाँ महाविद्यालय ऐसे निरीक्षण के परिणामों को उस पर अपने विचारों के साथ संसूचित कर सकता है और की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को निर्देशित कर सकता है। (विनियम: 6.17क)

10. जहाँ सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र कार्यपरिषद के समाधानप्रद कार्यवाही नहीं करता है, वहाँ वह प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जैसा कि वह उपयुक्त समझे और प्रबन्धतंत्र ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर कार्यकारी परिषद विनियम 6.28 के अधीन उसके अनुसार कार्यवाही कर सकता है। (विनियम: 6.17ख)

11. महाविद्यालय के अध्यापक वर्ग के कर्मचारी के सभी पद जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से रिक्त हो जाते हैं, से सम्बन्धित सूचनाएँ उसके रिक्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर विश्वविद्यालय को संसूचित कर दी जायेगी। (विनियम: 6.18)

12. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पूर्व अनुमति के बिना एक सम्बद्ध महाविद्यालय के किसी कक्षा अथवा अनुभाग में छात्रों की संख्या स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होगी। (विनियम: 6.19)

13. कार्यकारी परिषद सम्बद्ध महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अगले वर्ष के प्रवेश को एक संख्या तक, जो वह किसी भी शैक्षिक वर्ष में महाविद्यालय द्वारा की गयी गलतियों के लिए शक्ति के तौर पर समझता है, घटा सकता है अथवा महाविद्यालय को आर्थिक रूप से भी दण्डित किया जा सकता है। (विनियम: 6.20)

14. सम्बद्धता की निरन्तरता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की निरन्तर उपलब्धि पर निर्भर करेगी। (विनियम: 6.21)

15. यदि कोई महाविद्यालय लगातार तीन वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी भेजने में असफल होता है तो उसकी सम्बद्धता समाप्त समझी जायेगी। (विनियम: 6.22)

16. कार्यपरिषद किसी महाविद्यालय को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश न लेने के लिए निर्देशित कर सकती है, यदि कार्यपरिषद की राय में सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उस कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित शर्तों की अवहेलना की गई हो फिर भी यदि कार्य परिषद के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी कर दी जाती हैं तो कार्यपरिषद की पूर्व अनुमति से कक्षाएँ पुनः प्रारम्भ की जा सकती हैं। (विनियम: 6.23)

17. यदि कोई महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की अपेक्षाओं की अवहेलना करे और विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी शर्तों को पूरा न करे तो कार्यपरिषद कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से तब तक के लिए सम्बद्धता निलम्बित कर सकती है जब तक कि कार्यपरिषद के समाधानप्रद रूप में शर्तें पूरी न कर ली जाय। (विनियम: 6.24)

18. यदि सम्बद्ध महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्देशों का पालन करने या मान्यता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है अथवा भारी कुप्रबन्ध के कारण से कार्यपरिषद की राय में महाविद्यालय को इस तरह की सम्बद्धता से वंचित कर दिया जाय, तो कार्यकारी परिषद राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को किसी विषय की उपाधि के लिए मान्यता के विशेषाधिकार से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित कर सकती है। (विनियम: 6.25क)

19. यदि स्टॉफ के वेतन का भुगतान नियमित रूप से न किया जाय अथवा अध्यापकों को उनका वह वेतन न दिया गया हो, जिसके लिए वे विनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन हकदार थे और महाविद्यालय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : KESHAV SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 226016 Country : IN
Serial Number :
c16c93fe97e09a96e0d01147516c8d681
65b33316c86cf7561ca3cf28e47

अपेक्षित कार्यवाही न करे तो सम्बद्ध महाविद्यालय की मान्यता इस विनियम के अन्तर्गत सम्बद्धता वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। (विनियम: 6.25ख)

20. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।

21. विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियमावली 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित समस्त प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

22. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/सी०ओ०ए० (यथा लागू) की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

23. संस्थान का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। जिन संस्थानों की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/सी०ओ०ए० एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थानों की सम्बद्धता, तदकार्यवाही के अधीन होगी।

24. संस्थान द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों, एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से नियमानुसार निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिए जाने सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश के व्यवस्थाओं का अनुपालन न करने की स्थिति में, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

25. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों का अनुपालन संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि, संस्थान द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

26. संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्थान में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से वही शुल्क लिया जाए जो शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किया गया हो। शासन द्वारा निर्धारित किये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को "Black List" करने की कार्यवाही की जायेगी।

27. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु संस्थान के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन सुनिश्चित करवाना, संस्थान का दायित्व होगा। संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को तत्काल ही कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

28. शासनादेश दिनांक 12.07.2025 में 05 वर्ष की सम्बद्धता हेतु जो संस्थान AICTE के APH 2024-27 के नियम 2.1(a) में उल्लिखित 06 मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 16.07.2025 के माध्यम से गूगल लिंक के माध्यम से सूचना मांगी गयी है। जो संस्थान उक्त मानदण्ड को पूर्ण करते है उन्हें 05 वर्ष की सम्बद्धता हेतु पृथक से पत्र प्रेषित किय जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धन का होगा।

का० कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : KESHAV SINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 226016 Country : IN
Serial Number :
c16c931e97e09a95c0f1147516d00691
05b33316c0f7561ca3c2f1c47

1. अपर मुख्य सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया/काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली।
4. वित्त अधिकारी, ए०के०टी०यू० लखनऊ।
5. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०यू०, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

Signature Not
Verified

Digitally Signed by : KESHAV RINGH
Organisation : Personal
State : UTTAR PRADESH
Postal Code : 226016 Country : IN
Serial Number :
c16c3316c9f97a06a9f5e01147519c809f
05b33316c9f97a06a9f5e01147519c809f